

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2020—वैशाख 11, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महेश जगन्नाथ नाले आत्मज स्व. जे. एस. नाले, उम्र 52 वर्ष, निवासी-सड़क-35, ब्लॉक-10/बी, सेक्टर-05, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा लघु नाम महेश जे. नाले दर्ज है जो कि अपूर्ण है. जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम महेश जगन्नाथ नाले दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे महेश जगन्नाथ नाले आ. स्व. जे. एस. नाले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

महेश जे. नाले
पिता-स्व. जे. एस. नाले
निवासी-सड़क-35, ब्लॉक-10/बी,
सेक्टर-05, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

महेश जगन्नाथ नाले
पिता-स्व. जे. एस. नाले
निवासी-सड़क-35, ब्लॉक-10/बी,
सेक्टर-05, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परविन्दर पाल सिंह आत्मज श्री भूपेन्द्र सिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.-1/ए, सड़क-75, सेक्टर -6, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम प्रवीन्द्र सिंह भागर (Pravindra Singh Bhagar) आ. भूपेन्द्र सिंह भागर (Bhupendra Singh Bhagar) दर्ज है जो कि मेरा घरेलू नाम है तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम भूपेन्द्र सिंह (Bhupender Singh) है। मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम परविन्दर पाल सिंह आ. श्री भूपेन्द्र सिंह रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे परविन्दर पाल सिंह (Parvinder Pal Singh) आ. श्री भूपेन्द्र सिंह (Shri Bhupender Singh) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

प्रवीन्द्र सिंह भागर
(Pravindra Singh Bhagar)
पिता-भूपेन्द्र सिंह भागर
(Bhupendra Singh Bhagar)
निवासी-क्वाटर नं.-1/ए, सड़क-75,
सेक्टर -6, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

परविन्दर पाल सिंह
(Parvinder Pal Singh)
पिता-श्री भूपेन्द्र सिंह
(S/o- Shri Bhupender Singh)
निवासी-क्वाटर नं.-1/ए, सड़क-75,
सेक्टर -6, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Swapan Ghosh आत्मज Late Krishna Kishor Ghosh, उम्र 58 वर्ष, निवासी- 168, वार्ड, नं.-24, न्यू दीपक नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में मेरा नाम Swapan Kumar आ. Kishor Ghosh जिसमें मेरे नाम की स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। तथा कुछ शासकीय अभिलेखों में Swapan Ghosh आ. Kishor Ghosh दर्ज है जो कि अपूर्ण है। जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम Late Krishna Kishor Ghosh है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम Swapan Ghosh आत्मज Late Krishna Kishor Ghosh रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Swapan Ghosh आत्मज Late Krishna Kishor Ghosh के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Swapan Kumar
पिता-Kishor Ghosh
निवासी-168, वार्ड, नं.-24,
न्यू दीपक नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Swapan Ghosh
पिता-Late Krishna Kishor Ghosh
निवासी-168, वार्ड, नं.-24,
न्यू दीपक नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आकाशदीप चंदेल आत्मज श्री सुखदास चंदेल जाति सतनामी, निवासी-ग्राम-छेछानपहरी, पो. सिंगारपुर, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ यह कि मेरे कक्षा बारहवीं तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरे पिता का नाम सुकदास चंदेल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम सुखदास चंदेल है जो कि उनके समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने पिता के वास्तविक नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे आकाशदीप चंदेल आ. श्री सुखदास चंदेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
आकाशदीप चंदेल पिता-श्री सुकदास चंदेल निवासी-ग्राम-छेछानपहरी, पो.- सिंगारपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	आकाशदीप चंदेल पिता-श्री सुखदास चंदेल निवासी-ग्राम-छेछानपहरी, पो.- सिंगारपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, युवराज कुमार आत्मज स्व. उत्तम कुमार, उम्र 37 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-ग्राम व पो. खोपली, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरी पुत्री शिवांगी कक्षा दसवीं की छात्रा है। उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम युवराज भारती दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम युवराज कुमार है। मैं अपनी पुत्री के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, मेरे नाम को परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मेरी पुत्री को शिवांगी आत्मजा युवराज कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
शिवांगी पिता-श्री युवराज भारती निवासी-ग्राम व पो.-खोपली, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	शिवांगी पिता-श्री युवराज कुमार निवासी-ग्राम व पो.-खोपली, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

नियम संख्या/सी.जी.सी.एस.पी.ई./2020/जनवरी/शासकीय/05

दिनांक 10 जनवरी 2020

संबद्धता नियम 2020

01. संक्षिप्त नाम, विस्तार :-

- I. इस नियम का संक्षिप्त नाम “छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, संबद्धता नियम 2020” है।
- II. इसका विस्तार छत्तीसगढ़ एवं सम्पूर्ण देश भर होगा।

02. संबद्धता/मान्यता नियम नियमित/पत्राचार स्कूलों के लिए :-

- I. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, लोरमी, जिला मुंगेली छ.ग. छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 3(1) पेज क्रमांक 301 में प्रकाशन दिनांक 25.10.2019 में उल्लेखित बोर्ड/काउंसिल/विवि से समकक्षता/मान्यता प्राप्त है। नोटिफिकेशन क्रमांक/सी.जी.सी.एस.पी.ई./2019/सितंबर/शासकीय/02 के अनुसार।
- II. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, लोरमी, जिला मुंगेली छ.ग. के प्रवेश एवं परिक्षा नियम 2019 के धारा 02 के उपधारा V, XVI के अनुसार।
- III. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, लोरमी, जिला मुंगेली छ.ग. के काउंसिल स्थापना के मुख्य उद्देश्यिका 2019 के धारा 04 के उपधारा XI के अनुसार।
- IV. कोई भी शैक्षणिक संस्था जो काउंसिल से संबद्धता/मान्यता प्राप्त नहीं है काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परिक्षा में परिक्षार्थी नहीं भेज सकता है।
- V. कोई भी शैक्षणिक संस्था जो काउंसिल द्वारा आयोजित किसी भी परिक्षा के लिए संबद्धता/मान्यता पाने की इच्छा रखती है, वह काउंसिल को निर्धारित प्रारूप में संबद्धता/मान्यता के लिए सचिव अथवा अधिकृत अधिकारी को शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के 06 माह पूर्व निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी। काउंसिल किसी भी संस्था का इतिहास देखते हुए आवेदन पत्र एवं शुल्क प्राप्त होने पर शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व संबद्धता/मान्यता देने के लिए सक्षम होगा।
- VI. काउंसिल को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर एक ही स्थान में एक से अधिक संस्थाओं को संबद्ध किया जा सकेगा।
- VII. हिन्दी, अंग्रेजी एवं अन्य माध्यम के स्कूल संचालन के लिए अलग अलग संबद्धता/मान्यता लेना आवश्यक होगा।
- VIII. संबद्धता/मान्यता के लिए काउंसिल द्वारा निर्धारित समस्त दस्तावेज आवेदक संस्था को जमा करना होगा। विशेष रूप से निम्न बातों के बारे में जानकारी देना होगा :-
01. संस्था का सामान्य सभा तथा/प्रबंध मंडल के गठन की रूप रेखा।
02. प्रबंधक अथवा सचिव का नाम।

03. शैक्षणिक संस्था के स्टाफों की योग्यता तथा उनके लिए निर्धारित वेतन एवं वेतनमान।
 04. परिक्षा या परिक्षाएं जिनके लिए मान्यता चाही गयी है।
 05. संस्था में प्रकाये जाने वाले विषय।
 06. माध्यम जिसमें शिक्षा प्रदाय की जावेगी।
 07. कक्षाओं के उपलब्ध स्थान।
 08. छात्रों के स्वास्थ्य, खेलकुद तथा अनुशासन के बारे में किये गये प्रावधान।
 09. छात्रों तथा अध्यापकों के लिए पुस्तकालय हेतु किये गये प्रबंध तथा उपकरणों की सुविधा।
 10. शैक्षणिक संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी। गत वर्ष की वित्तीय स्थिति बताने वाले प्रमाण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
 11. छात्रों से लिये जाने वाला शुल्क तथा अन्य राशियां।
 12. छात्रों की दी जाने वाली छात्रवृत्ति अथवा अन्य वित्तीय रियायत।
 13. प्रत्येक कक्षा अथवा सेक्सन में छात्रों की संख्या।
 14. भवन, प्रयोगशाला, फर्नीचर तथा खेलकुद व्यवस्था संबंधी जानकारी।
 15. एवं अन्य संबंधित जानकारी।
- IX. यदि कोई शैक्षणिक संस्था पूर्व से संबद्धता/मान्यता प्राप्त है और किसी एक या अधिक विषय के साथ पृथक से संबद्धता/मान्यता चाहती है तो शुल्क विषयवार पृथक से पृथक आवेदन के साथ शुल्क जमा करना होगा।
- X. यदि आवेदन पत्र में समस्त जानकारी नहीं दी गयी है अथवा निर्धारित शुल्क/विलंब शुल्क जमा नहीं कराया गया है तो आवेदन पत्र बिना कारण बताये अस्वीकार कर दिया जावेगा। और जमा शुल्क वापस नहीं की जावेगी। प्रत्येक बार आवेदन के लिए आवेदन एवं शुल्क देना अनिवार्य होगा।
- XI. काउंसिल अपने अधिकारी या अपने द्वारा नामित किसी अधिकारी या व्यक्ति से किसी संस्था का निरीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र रहेगा और संस्था का यह दायित्व होगा कि ऐसे अधिकारी अथवा नियुक्त व्यक्ति को पुरा सहयोग प्रदान करने और चाही गयी जानकारी सही सही उपलब्ध करावे। निरीक्षण अधिकारी द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर निरीक्षण कर प्रतिवेदन दिया जावेगा।
- XII. यदि काउंसिल और कोई जानकारी चाहे तो शैक्षणिक संस्था को इसे उपलब्ध कराना होगा।
- XIII. संबद्धता का नवीनीकरण नियमानुसार प्रतिवर्ष अथवा निर्धारित अवधि में कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण के लिए आवेदन एवं निर्धारित शुल्क के प्राप्त नहीं होने पर संबद्धता समाप्त मानी जावेगी।
- XIV. काउंसिल द्वारा सम्पूर्ण जानकारी पर विचार करने के पश्चात् संस्था का आवेदन पत्र -
01. मान्य किया जा सकेगा।
 02. अमान्य किया जा सकेगा।
 03. सशर्त मान्य किया जा सकेगा। इन शर्तों को पुरा करने की समय अवधि का बंधन किया जा सकेगा। संस्था के लिए इस अवधि में इन शर्तों को पुरा करना अनिवार्य होगा अथवा संबद्धता/मान्यता स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

03. शैक्षणिक संस्था को संबद्धता/मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर दी जावेगी :-

- I. काउंसिल के किसी अधिकारी अथवा काउंसिल द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा अथवा काउंसिल के अध्यक्ष/सचिव द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जा सकेगा।

- II. यदि पुरव से प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय संचालित है तो उसे नियमानुसार शासन से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- III. काउंसिल द्वारा चाही गयी समस्त जानकारी एवं उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र काउंसिल को निर्धारित अवधि तक भिजवाना होगा।
- IV. संस्था किसी अन्य मंडल, विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था की किसी भी समतुल्य परीक्षा के लिए छात्रों को प्रशिक्षित नहीं करेगी और ना ही ऐसे छात्रों को ऐसी परीक्षा में भिजवाने का प्रबंध या प्रयास करेगी।
- V. संस्था को छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार कराना पड़ेगा और उनकी शारीरिक शिक्षा के लिए प्रबंध करना पड़ेगा।
- VI. शैक्षणिक संस्था द्वारा विद्यालय में साफ सफाई रखी जावेगी।
- VII. संस्था द्वारा किसी भी कक्षा अथवा कक्षा के भाग में 50 से अधिक छात्रों की भर्ती नहीं की जावेगी। प्रवेश देने पर काउंसिल से लिखित अनुमति लेना होगा। प्रत्येक छात्र के लिए कम से 10 वर्ग फीट जगह होनी चाहिए। बैठक व्यवस्था के उपलब्धता के अनुसार प्रवेश के लिए अनुमति ली जा सकेगी।
- VIII. संस्था का भवन काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उपलब्ध रहेगा और इसमें इसके लिए स्टाफ, फर्नीचर तथा उपकरण इत्यादि भी काउंसिल को उपलब्ध होंगे। काउंसिल इसका उपयोग परीक्षा आयोजित करने या किसी अन्य कार्य के लिए कर सकेगा।
- IX. शैक्षणिक संस्था का कोई भी पदाधिकारी या अध्यापक राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।
- X. शैक्षणिक संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जावेगी।
- XI. संस्था की प्रबंध समिति में अधिक से अधिक 10 सदस्य होंगे जिसमें संस्था का प्राचार्य शामिल होगा। और दो व्यक्ति काउंसिल द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो सकेंगे। यदि इस प्रकार का प्रावधान संस्था के नियमों में ना हो तो उसे अपने नियमों में परिवर्तन करना होगा।
- XII. शैक्षणिक संस्था के भवन में समुचित स्थान उपलब्ध होगा और पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि के लिए सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
- XIII. शैक्षणिक संस्था द्वारा कमरे के भीतर अथवा बाहर खेलों के आयोजन के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाना होगा।
- XIV. शैक्षणिक संस्था द्वारा विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त फर्नीचर एवं उपकरण काउंसिल के संतोष के लायक उपलब्ध कराना होगा।
- XV. शैक्षणिक संस्था द्वारा शासकीय संस्था के समान योग्यता प्राप्त स्टाफ तथा अन्य स्टाफ रखना होगा।
- XVI. शैक्षणिक संस्था द्वारा अस्थायी मान्यता/संबद्धता चाहने की दशा में 25000/-रु. तथा स्थायी मान्यता/संबद्धता चाहने के संबंध में 50000/- रु. की एक अक्षय निधि बनाने का प्रावधान करना होगा। अक्षय निधि संस्था के प्राचार्य एवं काउंसिल के सचिव अथवा काउंसिल से अधिकृत व्यक्ति के संयुक्त खाते में जमा होगा।
- XVII. शैक्षणिक संस्था द्वारा काउंसिल को भेजे जाने वाले निर्धारित नामांकन शुल्क, केंद्रांश एवं परीक्षा शुल्क काउंसिल को निर्धारित समयावधि में भेजना होगा। केंद्रांश शुल्क स्कूल में निर्धारित टोटल शुल्क का 15 प्रतिशत होगा। हाई स्कूल परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के लिए अलग अलग नामांकन होगा।
- XVIII. संस्था द्वारा विद्यालय में भर्ती प्रत्येक छात्र का काउंसिल में नामांकन निर्धारित अवधि तक कराना होगा। बाद में निर्धारित विलंब शुल्क के साथ नामांकन किया जा सकेगा।

- XIX. संस्था द्वारा शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के 45 दिवस उपरांत किसी भी छात्र को काउंसिल की पुर्वानुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। प्रत्येक छात्र वार अनुमति के लिए कम से कम 1000/-रु. अनुमति शुल्क संलग्न कर आवेदन भेजना होगा। परंतु जो विद्यालय एक ही संस्था द्वारा विभिन्न नगरों में संचालित होंगे उनमें से किसी एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में स्थानांतर हो सकेगा।
- XX. संस्था द्वारा किसी भी छात्र को दसवीं अथवा बारहवीं में सीधा प्रवेश नहीं दिया जावेगा। निर्धारित योग्यता वाले को ही उक्त कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा।
- XXI. काउंसिल से संबद्धता/मान्यता प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग से अनापत्ति या अनुमति लेना होगा। अथवा काउंसिल के निर्देशानुसार प्रक्रिया पुरा करना होगा।
- XXII. संबद्धता ऐसे संस्थान जो शासन से पंजीकृत है को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क दिये जाने के उपरांत काउंसिल निरीक्षण कराने के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संबद्धता/मान्यता प्रदान की जावेगी।
- XXIII. काउंसिल द्वारा किसी आवेदित संस्था को संबद्धता प्रदान करना या नहीं करना काउंसिल का अपना विवेकाधिकार है, इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी।
- XXIV. काउंसिल का निर्णय अंतिम होगा, काउंसिल को प्राप्त हो चुके संबद्धता/मान्यता शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी नहीं होगी।
- XXV. संबद्धता नहीं दिये जाने की स्थिति या संबद्धता निरस्त किये जाने की स्थिति में भी कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगी।
- XXVI. किसी भी नियम शर्त के उल्लंघन पर संबद्धता निरस्त की जावेगी।
- XXVII. संबद्ध संस्थान के विरुद्ध न्यायालयीन एवं पुलिस प्रकरण दर्ज होने पर संबद्धता स्वमेव रद्द मानी जावेगी। दोष से उन्मुक्त किये जाने पर संबद्धता नियमित की जा सकेगी।
- XXVIII. अध्ययन केंद्र विकासखंड स्तर पर नियमानुसार खोला जावेगा।

04. संबद्धता के प्रकार एवं शुल्क :-

- I. नियमित एवं पत्राचार के लिए विद्यालयों को संबद्ध किया जावेगा।
- II. ओपन एवं आन डिमांड के लिए केंद्र की स्थापना की जावेगी। प्रत्येक केंद्र में एक को आर्डिनेटर या केंद्र प्रमुख होगा।
- III. प्रथम वर्ष अस्थायी संबद्धता प्रदान की जावेगी।
- IV. एक वर्ष पूर्ण होने पर सभी सुविधाएं नियमानुसार होने पर स्थायी संबद्धता प्रदान की जावेगी।
- V. संबद्धता के लिए निर्धारित शुल्क काउंसिल द्वारा ली जावेगी।
- VI. संबद्धता शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन आने पर ही या निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अस्थायी या स्थायी समकक्षता प्रदान की जा सकेगी।
- VII. संबद्धता के लिए काउंसिल के संबद्धता विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- VIII. संबद्धता के लिए निर्धारित शुल्क ली जावेगी।
- IX. संबद्धता शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी नहीं होगी।
- X. सभी संबद्ध संस्थान काउंसिल को भेजे जाने वाले समस्त शुल्क जैसे नामांकन, परीक्षा अथवा केंद्रांश शुल्क जमाकर्ता छात्र से प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से काउंसिल के नाम से डी. डी. बनवाकर पंजीकृत डाक से भेजेंगे अथवा स्वयं काउंसिल आफिस आकर जमा करेंगे अन्यथा

संबद्धता निरस्त कर उचित कार्यवाही की जा सकेगी अथवा प्रतिदिवस के अनुसार 100/- रु. प्रति छात्र पेनाल्टी जमा करना होगा, अन्यथा काउंसिल न्यायालयीन एवं पुलिस कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

- XI. काउंसिल को भेजे जाने वाले समस्त शुल्क डी.डी. के रूप में जमा लेना अनिवार्य होगा, नगद जमा लेने का अधिकार संबद्ध संस्थान को नहीं होगा।

05. संबद्ध संस्थानों के कर्तव्य :-

- I. काउंसिल से संबद्ध सभी संस्थानों को काउंसिल के सभी मौखिक/लिखित आदेशों, सुचनाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। काउंसिल सभी सुचनाएं वेब पोर्टल पर अथवा डाक से जानकारी के लिए पत्र भेज सकती है।
- II. काउंसिल के छवि को बनाये रखने हेतु उचित कार्यवाही करना होगा।
- III. सभी व्यक्तियों, संस्था को उचित एवं सही जानकारी प्रदान करना होगा।
- IV. भ्रामक प्रचार या जानकारी नहीं देना है।
- V. निर्धारित शुल्क ही लेना और समस्त उचित सुचनाएं सुचना पटल पर प्रदर्शित करना और सभी छात्र/छात्राओं तक जानकारी पहुंचाना होगा।
- VI. निर्धारित समय में आवेदन प्राप्त कर शुल्क जमा लेकर काउंसिल को निर्धारित शुल्क आवेदन पत्र के साथ भेजना।
- VII. संस्थान की सभी आवश्यकताओं के आधार पर व्यवस्था करना।
- VIII. कानून व्यवस्था बनाए रखना और उचित समय पर सभी कार्य समपन्न करना।
- IX. काउंसिल किसी भी संबद्ध संस्थानों के देयकों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी।

06. काउंसिल द्वारा जिन शैक्षणिक संस्था को संबद्धता/मान्यता दी जावेगी उनकी सुची तैयार कर यथा संभव प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा सकेगी।

07. काउंसिल द्वारा जिन शैक्षणिक संस्था को संबद्धता/मान्यता दी जावेगी उसको एक इस आशय का एक प्रमाण पत्र काउंसिल द्वारा दिया जावेगा जिसे प्राचार्य कक्ष या कार्यालय में स्पष्ट प्रदर्शित करना होगा।

08. शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को संस्था के प्रबंधक मंडल या संस्था के स्टाफ की संख्या अथवा योग्यता में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करना होगा।

09. यदि काउंसिल को इस बात का समाधान हो जाता है कि कोई शैक्षणिक संस्था जिसे काउंसिल ने संबद्धता/मान्यता प्रदान किया है, उन सभी शर्तों को पुरा करने में असमर्थ हो गया है या अन्य कारण से संबद्धता/मान्यता नहीं दिया जाना है तो काउंसिल को यह अधिकार होगा कि उसकी संबद्धता/मान्यता समाप्त कर दी जावे। काउंसिल चाहे तो कारण बताओ नोटिस दे सकता है और निर्धारित अवधि तक जवाब आने पर उस पर विचार कर सकता है। इस प्रकार की मान्यता रद्द करने वाले संस्था के अध्यक्ष/नरत छात्रों का एक मास का समय दिया जावेगा काउंसिल से संबद्ध अन्य संस्थान में प्रवेश के लिए।

10. काउंसिल द्वारा मान्यता समिति का गठन किया जा सकेगा। काउंसिल के अध्यक्ष, सचिव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
11. प्रत्येक वर्ष काउंसिल द्वारा संबद्धता/मान्यता/मान्यता नवीनीकरण शुल्क एवं विलंब शुल्क तय किये जावेंगे, जिसे सभी संबद्ध संस्थानों को मान्य एवं स्वीकार होंगे। संबद्धता/मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकेगी।
12. नियमों की बदलने की शक्ति :- काउंसिल कभी भी किसी भी नियम शर्त में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सूचना एवं सुझाव आमंत्रित किये कर सकती है, जिसे सभी संबद्ध संस्थान एवं छात्र/छात्राओं को मानना ही होगा।
13. व्याख्या :- उक्त नियम की उचित व्याख्या काउंसिल द्वारा की जावेगी, काउंसिल का व्याख्या अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

डी. पी. जोशी,
सचिव.